400

# न्यायलय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

R 1366 - II-17

क्र. दो/ 2017 निगरानी

जिला भिंड

जे. के. सक्सेना आदि 15-5-17

15-5-17

1. पान सिंह
2. राकेश सिंह पुत्र गण श्री लाखन सिंह
3. श्रीमती रामवती पत्नी श्री लाखन सिंह समस्त निवासी गण ग्राम विजयपुरा तेहसिल मंहगाव जिला भिंड म.प्र.

............................................................ आवेदकगण

वनाम

15-5-17 (जे.के. सक्सेना) एडवोकेट

15.5.17 A. K. AGARWAL Adv.

1. जयवीर सिंह पुत्र जसरथ सिंह
2. सत्यवीर सिंह पुत्र जसरथ सिंह
3. बदन सिंह पुत्र रामवतार सिंह
   समस्त निवासी गण ग्राम विजयपुरा तेहसिल मंहगाव जिला भिंड म.प्र.

............................................................ अनावेदकगण

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भूराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागिय अधिकारी मेहगांव जिला भिंड के प्र. क्र. 40/15–16 अपील माल आदेश दिंनाक 24.04.2017

श्रीमान जी

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यह कि अधिनस्थ न्यायलय में आवेदकगण द्वारा ग्राम विजय पुरा की भूमि सर्वे नं. 197, 198 का बटवारा कराने वावत् आवेदन पत्र पेश किया गया। सर्वे नं. 198 का बटवारा पर उभय पक्ष के मध्य सहमति होने से किसी को कोई आपत्ति नही होने से उक्त सर्वे क्र. का इस प्रकरण में कोई विवाद नही है तथा अनावेदक क्र. 4, से 7 तक को तरतीबी (फोरमल) पक्षकार बनाया गया है उनके द्वारा धारित भूमि सर्वे क्र. 198 का रकवा 1 वीघा 1 विसवा (21 विसवा) भूमि को आवेदकण के पुत्र पुरोषोत्तम एवं सोरभ के नाम विक्रय करदी है। जिसपर उनका नामांतरण हो चुका है।

3

XXIX(a)-BR(H)-11



# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1366-दो/17 **जिला** - भिण्ड

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्‌वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्‌वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-15 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |